

एम.पी. राम मोहन राजा

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

25 अप्रैल, 2007

[ए.के. माथुर एवं तरुण चटर्जी, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 1959; नियम 8 सी

और 39:

खनिज- खदान पट्टा- राज्य सरकार की अनुदान/नवीनीकरण करने की शक्ति- नियम 8 सी के संदर्भ में निषेध और नियम 39 के तहत छूट- पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन- आवेदन के लंबित रहने के दौरान नियम 39 का निरसन होना- आवेदन की अस्वीकृति- आवेदक द्वारा 6 वर्ष से अधिक के अत्यधिक विलंब के बाद चुनौती- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज- अपील पर, अभिनिर्धारित: याचिकाकर्ता/आवेदक के पास खनन अधिकारों के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने में इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं था- इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति के पास खनन और खनिज पट्टे की मंजूरी का कोई निहित अधिकार नहीं है- चूंकि वह नियम, जिसके तहत आवेदक ने विचार करने के निर्देश की मांग की थी, पहले ही निरस्त किया जा चुका है, इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है- चूंकि नियम 39 अस्तित्व में नहीं था, इसलिए अधिकारियों के लिए रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता था।

अपीलकर्ता ने तमिलनाडु माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 1959 के नियम 39 के तहत राज्य सरकार के उद्योग विभाग में खदान पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। नियमों का नियम 39 विशेष मामलों में खदान पट्टे या अनुमति को मंजूर या नवीनीकृत करने की शक्ति

राज्य सरकार को प्रदान करता था। रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर राज्य सरकार को नियम 39 के तहत दिए गए उसके आवेदन का निपटारा करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे और चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटारा करे तथा राज्य सरकार को इस बीच *यथास्थिति* बनाए रखने का भी निर्देश दिया। नियम 39 को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.10.1996 के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया। जिला समाहर्ता ने कुछ भूमियों को नीलामी के लिए रखा, जिसमें वह भूमि भी शामिल थी जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता ने पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। सात वर्षों के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 8.10.1996 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट की मांग करते हुए और प्रथम प्रतिवादी- तमिलनाडु राज्य को उस समय लागू नियम 39 के तहत जेली और के खनन के लिए पट्टे की मंजूरी हेतु रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के लिए खुरदुरा पत्थर वर्तमान रिट याचिका दायर की। दिनांक 27.2.2004 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूमि पर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। इस आदेश को राज्य सरकार ने रिट अपील दायर कर चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने एक स्पष्टीकरण आदेश पारित किया जिसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा एक अपील दायर की गई थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.2.224 के अंतरिम आदेश को एक निजी पक्ष द्वारा यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई थी कि एकल न्यायाधीश के आदेश का लाभ उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में स्वीकृत पट्टे की भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है और उस भूमि पर खनन कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए, पक्षों की सहमति से इन दोनों

मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करते हुए इनका निपटारा कर दिया गया। अतः वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में 8.10.1996 को आवेदक के आवेदन को खारिज करने का एक आदेश पारित किया था, जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा अत्यधिक विलंब के बाद यानी 27.4.2003 को चुनौती दी गई थी, इसलिए, रिट याचिका पूरी तरह से अत्यधिक विलंबित थी।

[कंडिका 8] [582-ए-बी]

1.2. उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की आपत्ति को बिल्कुल सही ठहराया है। जब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा 8.10.1996 को नियम 39 के तहत रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, तो रिट याचिकाकर्ता ने 27.4.2003 तक प्रतीक्षा की और एक विलंबित रिट याचिका दायर की। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बावजूद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा तब सुना गया और एक साथ जोड़ा गया, जब इस अंतरिम आदेश से पीड़ित एक तीसरे पक्ष ने सामने आकर यह आरोप लगाया कि रिट याचिकाकर्ता इस अंतरिम आदेश के कारण उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। हमारे पास इसका कोई औचित्य नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ने इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा क्यों की। एक बार जब 8.10.1996 को आदेश पारित कर दिया गया था, तब रिट याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद

कि रिट याचिका विलंबित थी और लापरवाही से ग्रसित थी, इसके गुण-दोष के विवाद में भी प्रवेश किया और यह विचार व्यक्त किया कि जब राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता के आवेदन का निपटारा करने के निर्देश के चार सप्ताह के भीतर नियम 39 को हटा दिया गया था, तो समाहर्ता के पास आवेदन को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि जो नियम लागू था उसे निरस्त कर दिया गया था, इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था वह समाप्त हो गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया और गुण-दोष के आधार पर भी रिट याचिका को खारिज कर दिया। (कंडिका 8) (582-बी-इ)

1.3 जहां तक विलंब के प्रश्न का संबंध है, कोई भी तय और कड़ा नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में समाहर्ता द्वारा 8.10.1996 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें खनन पट्टे की मंजूरी पर विचार करने के लिए रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता इस मामले पर चुपचाप बैठा रहा और 2003 तक इसे चुनौती नहीं दी। यह प्रत्यक्ष रूप से अत्यंत गंभीर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति बिना किसी न्यायसंगत कारण के इतने लंबे समय तक चुपचाप बैठा रह सकता है, उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। [कंडिका 11] (583-इ-एफ)

*हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम डॉली दास, [1999] 4 एस सी सी 450 और मैसर्स देहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम जिला बोर्ड, भोजपुर और अन्य आदि, [1992]] 2 एस सी सी 598, पर भरोसा किया गया।*

1.4. नियमों का नियम 39 पहले ही 27.6.1996 को निरस्त कर दिया गया था और जमीनी हकीकत भी बदल चुकी थी। जहां तक खनन और खनिज पट्टे की मंजूरी का संबंध है,

किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई निहित अधिकार नहीं होता है। इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि यदि उस समय लागू कानून के आधार पर कुछ अधिकारों का निर्णय किया गया है, तो वह न्यायिक निर्णय को तब तक शून्य नहीं करेगा जब तक कि उसके आधारों को ही समाप्त न कर दिया जाए। वर्तमान मामले में, जिस नियम के तहत रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश की मांग की थी, उसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय-सीमा के भीतर पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नियम 39, जिसके आधार पर निर्देश दिया गया था, अस्तित्व में नहीं था। इसलिए, अधिकारियों के लिए रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा, खनिज पट्टे में किसी का कोई निहित अधिकार नहीं होता है। [कंडिका 13] (584-इ-जी)

*तमिलनाडु राज्य बनाम मैसर्स हिंद स्टोन और अन्य*, (1981) 2 एस सी सी 205 और *पी.टी.आर. एक्सपोर्टर्स (मद्रास) प्रा. लि. बनाम भारत संघ*, (1996) 5 एस सी सी 268, पर भरोसा किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 दीवानी अपील संख्या की 2138।

मद्रास उच्च न्यायालय की 2003 की रिट याचिका संख्या 13791 में दिए गए दिनांक 13.07.2006 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से के. सुब्रमण्यम, ई.सी. अग्रवाला, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाला, वरुण माथुर, गौरव गोयल और नेहा अग्रवाल।

उत्तरदाताओं की ओर से के.के. मणि और आर. नेदुमारन।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

ए.के. माथुर, न्यायमूर्ति: 1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 13.7.2006 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता- एम.पी. राम मोहन राजा द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है और राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे के आलोक में एस. रामिलरसी द्वारा दायर रिट अपील का निपटारा कर दिया है। अतः खंडपीठ द्वारा रिट याचिका को खारिज करने के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता द्वारा यह वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. इस अपील को उत्पन्न करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता (जिसे आगे रिट याचिकाकर्ता कहा जाएगा) ने तमिलनाडु माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 1959 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 39 के तहत 2.2.1996 को राज्य सरकार के उद्योग विभाग में कामराजार जिले के राजापालयम तालुक के अय्यमकोल्लनकोंडम गांव के सर्वे संख्या 782/2 में 3.64 हेक्टेयर और सर्वे संख्या 777/4ए में 2.36 हेक्टेयर की पोरम्बोक भूमियों से 20 वर्ष की अवधि के लिए जेली और खुरदुरे पत्थर के खनन हेतु खदान पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। नियमों का नियम 39 विशेष मामलों में खदान पट्टे या अनुमति को मंजूर या नवीनीकृत करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करता था। इस नियम की वैधता को इस न्यायालय द्वारा *प्रीमियम ग्रेनाइट्स और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*, [1994] 2 एस सी 691 में सही ठहराया गया था। इस न्यायालय ने नियम को वैध माना लेकिन यह भी कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। रिट याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय में 1996 की रिट याचिका संख्या 6931 दायर कर यह शिकायत की कि नियमों के नियम 39 के तहत उसके आवेदन का निपटारा नहीं किया गया है और इस तरह उसने राज्य सरकार को नियम 39 के तहत दिए गए उसके आवेदन का निपटारा करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। दिनांक 14.6.1996 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय

ने राज्य सरकार को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा कर दिया कि वह रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटारा करे तथा राज्य सरकार को इस बीच यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया। हालांकि, चार सप्ताह की अवधि के भीतर ही 27.6.1996 को राज्य सरकार द्वारा नियम 39 को निरस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाकर्ता का आवेदन दिनांक 8.10.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, जिला समाहर्ता ने 2003 में कुछ भूमियों को नीलामी के लिए रखा। जिन दो भूमियों के लिए रिट याचिकाकर्ता ने पट्टे की मंजूरी हेतु आवेदन किया था, उनमें से एक भूमि को भी नीलामी के लिए रखा गया था। सात वर्षों के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 8.10.1996 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट की मांग करते हुए और प्रथम उत्तरदाता को उस समय लागू नियम 39 के तहत जेली और खुरदुरे पत्थर के खनन के लिए पट्टे की मंजूरी हेतु रिट याचिकाकर्ता के दिनांक 2.2.1996 के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका संख्या 2003 की 13791 दायर की।

4. रिट याचिका को 29.4.2003 को स्वीकार किया गया था। दिनांक 27.2.2004 के एक अंतरिम आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूमि पर जेली और खुरदुरे पत्थर का खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। इस आदेश को राज्य सरकार ने रिट 2004 की अपील संख्या 1750 में चुनौती दी। इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक स्पष्टीकरण आदेश पारित किया जिसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा एक अपील दायर की गई थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.2.2004 के अंतरिम आदेश को एक निजी पक्ष, अर्थात् एस. थामिलरसी द्वारा 2006 की रिट अपील संख्या 453 में चुनौती दी गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विद्वान एकल

न्यायाधीश के आदेश का लाभ उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में स्वीकृत पट्टे की भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है और उक्त भूमि पर खनन कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए, पक्षों की सहमति से इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य आक्षेपित आदेश के माध्यम से इनका निपटारा कर दिया गया।

5. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि इससे पहले 1977 में नियमों का नियम 8-सी पेश किया गया था जिसके द्वारा निजी व्यक्तियों के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए पट्टे की मंजूरी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी गई थी कि पट्टा केवल पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों के पक्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 8-सी की वैधता को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और अंततः यह मामला इस न्यायालय के समक्ष पहुँचा और *तमिलनाडु राज्य बनाम हिंद स्टोन, एआईआर (1981) एससी 711* में इस न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार किया और नियम 8-सी की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले जो कुछ आवेदन लंबित थे, उन पर नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि खनन में पट्टे की मंजूरी के लिए किसी का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके बाद, 8.3.1993 को नियम 39 लागू किया गया और उस नियम ने राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति प्रदान की। खनिज विकास के हित में और जनहित में, सरकार दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, किसी भी खनिज के खनन के लिए पट्टा या अनुमति मंजूर या नवीनीकृत कर सकती है। नियम 39 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी लेकिन इसे इस न्यायालय द्वारा *प्रीमियम ग्रेनाइट्स और अन्य* (उपरोक्त) में बरकरार रखा गया था।



6. पट्टे की मंजूरी के लिए राज्य सरकार के समक्ष नियमों के नियम 39 के तहत कई आवेदन दायर किए गए थे। सरकार ने प्रतिबंध की शक्ति में छूट देते हुए कुछ मामलों में पट्टा मंजूर कर लिया लेकिन कुछ आवेदनों को खारिज कर दिया गया। इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.3.1995 के आदेश द्वारा निश्चित संख्या में रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और निर्देश जारी किए कि सभी लंबित आवेदनों का निपटारा आदेश की तारीख से यथासंभव बारह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे यह निर्धारित किया कि भविष्य के सभी आवेदनों का निपटारा ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से यथासंभव बारह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा 17.3.1995 को पारित इस आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई और इसने अंतिमता प्राप्त कर ली।

7. रिट याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 39 के तहत एक आवेदन किया था लेकिन उसके आवेदन का निपटारा बारह सप्ताह के भीतर नहीं किया गया था। इसलिए, उसने रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने 2.5.1996 को एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता के आवेदन के निपटारे में तेजी लाने और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया। इस बीच, चार सप्ताह के भीतर ही 27.6.1996 को नियम 39 को निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने 8.10.1996 को एक आदेश पारित कर रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और रिट याचिकाकर्ता को उसके द्वारा आवेदित क्षेत्र के लिए खदान पट्टा देने के लिए समाहर्ता द्वारा आयोजित की जाने वाली निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने के लिए कहा गया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में सरकार द्वारा दिनांक 8.10.1996 को आदेश पारित किए जाने के बाद रिट याचिकाकर्ता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और समाहर्ता ने रिट याचिकाकर्ता

के आवेदन को खारिज करते हुए यह माना कि चूंकि नियम 39 को पहले ही निरस्त किया जा चुका है, इसलिए बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए रिट याचिकाकर्ता को कोई पट्टा मंजूर नहीं किया जा सकता है। रिट याचिकाकर्ता ने 2003 तक इस आदेश को चुनौती नहीं दी और अचानक जागकर उसने 27.4.2003 को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2003 की 13791 दायर की। उच्च न्यायालय ने 29.4.2003 को एक अंतरिम आदेश पारित कर रिट याचिकाकर्ता को पड़ोसी खदान मालिकों द्वारा उद्धृत पट्टा राशि के भुगतान पर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन अंतरिम आदेश से प्रभावित हुए निजी प्रतिवादी ने उक्त आदेश के खिलाफ एक रिट अपील दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि रिट याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश की आड़ में उसे आवंटित खदान में हस्तक्षेप कर रहा था। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका और रिट अपील को एक साथ जोड़ दिया गया।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। हमारे सामने सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न, जैसा कि उच्च न्यायालय के सामने भी था, विलंब का था। सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में 8.10.1996 को उसके आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया था, जिसे वर्तमान रिट याचिका द्वारा अत्यधिक विलंब के बाद यानी 27.4.2003 को चुनौती दी गई थी, इसलिए, रिट याचिका पूरी तरह से अत्यधिक विलंबित थी। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की आपत्ति को सही ठहराया और हमारी राय में, बिल्कुल सही किया। जब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा 8.10.1996 को नियम 39 के तहत रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, तो रिट याचिकाकर्ता ने 27.4.2003 तक प्रतीक्षा की और एक अत्यंत विलंबित रिट याचिका दायर की। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और एक

अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बावजूद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा तब सुना गया और एक साथ जोड़ा गया, जब इस अंतरिम आदेश से पीड़ित एक तीसरे पक्ष ने सामने आकर यह आरोप लगाया कि रिट याचिकाकर्ता इस अंतरिम आदेश के कारण उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। हम संतुष्ट हैं कि रिट याचिकाकर्ता के पास इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं था। एक बार जब 8.10.1996 को आदेश पारित कर दिया गया था, तब रिट याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिका विलंबित थी और लापरवाही से ग्रसित थी, इसके गुण-दोष के विवाद में भी प्रवेश किया और यह विचार व्यक्त किया कि जब राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता के आवेदन का निपटारा करने के निर्देश के चार सप्ताह के भीतर नियम 39 को हटा दिया गया था, तो समाहर्ता के पास आवेदन को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि जो नियम लागू था उसे निरस्त कर दिया गया था, इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था वह समाप्त हो गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया और गुण-दोष के आधार पर भी रिट याचिका को खारिज कर दिया।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि रिट याचिका को विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के *पी.सी. सेठी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*, एआइआर (1975) एस सी 2164 के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि चूंकि सरकार ने उम्मीदें बंधाई थीं, इसलिए याचिका विलंब के आधार पर खारिज किए जाने योग्य नहीं थी। के. थिम्मप्पा और अन्य बनाम अध्यक्ष, केंद्रीय निदेशक मंडल, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य,

[2001] 2 एस सी सी 259 के मामले में, माननीय न्यायमूर्तियों ने यह माना कि किसी याचिका को केवल विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता यदि वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और जब अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो याचिका दायर करने में हुए विलंब के प्रश्न की अनदेखी नहीं की जा सकती। *हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम डॉली दास*, [1999] 4 एस सी सी 450 के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विलंब अपने आप में याचिकाकर्ता के राहत के दावे को तब तक विफल नहीं कर सकता जब तक कि उत्तरदाता की स्थिति अपरिवर्तनीय रूप से न बदल गई हो या उसे अत्यधिक कठिनाई का सामना न करना पड़ा हो। *मैसर्स देहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम जिला बोर्ड, भोजपुर और अन्य आदि*, [1992] 2 एस सी सी 598 के मामले में उनकी न्यायमूर्तियों ने पाया कि रिट याचिका को शुरुआत में ही खारिज करना उचित नहीं था। चूंकि उपकर की मांग 1967 में अवैध रूप से की गई थी और मुकदमा 1971 में खारिज कर दिया गया था, उनकी न्यायमूर्तियों ने पाया कि इसमें पक्षकार के लिए गंभीर परिणाम का मामला शामिल था, इसलिए उस मामले में विलंब को घातक नहीं माना गया।

10. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने *उड़ीसा राज्य बनाम लोचन नायक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा*, [2003] 10 एस सी सी 678 के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस मामले में, भूमि आवंटन का प्रश्न शामिल था और कमिश्नर ने 1984 में किए गए आवंटन को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ उत्तरदाता ने 1992 में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए राजस्व अधिकारी के पास वापस भेज दिया। इस बीच, 1992 में आवंटन को फिर से रद्द कर दिया गया था। इस न्यायालय ने माना कि रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक विलंब के

कारण उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया।

11. जहां तक विलंब के प्रश्न का संबंध है, कोई भी तय और कड़ा नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में समाहर्ता द्वारा 8.10.1996 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें खनन पट्टे की मंजूरी पर विचार करने के लिए रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता इस मामले पर चुपचाप बैठा रहा और 2003 तक इसे चुनौती नहीं दी। यह प्रत्यक्ष रूप से अत्यंत गंभीर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति बिना किसी न्यायसंगत कारण के इतने लंबे समय तक चुपचाप बैठा रह सकता है, उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि जब उच्च न्यायालय ने 14.6.1996 को आदेश पारित किया था, उस समय नियम 39 अस्तित्व में था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ता के मामले का निर्णय इस प्रकार किया जाना चाहिए था मानो नियम को हटाया या निरस्त नहीं किया गया था। इसके समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

- (i) [1993] पुरक 1 एस सी सी 96 (II) कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मामले में।
- (ii) एआइआर (1994) एस सी 1 हरियाणा राज्य और अन्य बनाम द करनाल को-ऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी लिमिटेड आदि।
- (iii) एआइआर (2003) एस सी 833 बेग राज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मामले में, माननीय न्यायमूर्तियों ने माना कि विधायिका न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार को बदलकर सामान्य रूप से कानून बदल सकती है, लेकिन यह पक्षों के बीच दिए गए निर्णय को स्वयं अपास्त करने को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार, *हरियाणा राज्य और अन्य* के मामले में यह माना गया था कि दीवानी न्यायालय की डिक्री और न्यायिक आदेश जिसमें यह माना गया था कि कुछ भूमि और अचल संपत्तियां मूल अधिनियम द्वारा विनियमित "शामिलात देह" से बाहर थीं, उसके बाद के संशोधन द्वारा सहायक समाहर्ता को उनकी अनदेखी करके दावे का फैसला करने का निर्देश देना असंवैधानिक माना गया क्योंकि यह न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करता है। *बेग राज सिंह* के मामले में, याचिकाकर्ता को 3 से 5 वर्षों के लिए खनन पट्टा दिया गया था लेकिन याचिकाकर्ता को त्रुटिवश एक वर्ष के लिए पट्टा दिया गया था। यह माना गया कि नीतिगत निर्णय के संदर्भ में याचिकाकर्ता को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक जारी रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था और यह माना गया कि मुकदमेबाजी में समय बीतने के कारण और इस आधार पर कि खनन अधिकारों की नीलामी करके सरकार द्वारा उच्च राजस्व अर्जित किया जाएगा, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का हकदार होगा।

13. अब, रिट याचिका के गुण-दोष पर आते हुए हम पाते हैं कि नियम पहले ही 27.6.1996 को निरस्त कर दिया गया था और जमीनी हकीकत भी बदल चुकी थी। जहां तक खनन और खनिज पट्टे की मंजूरी का संबंध है, किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई निहित अधिकार नहीं होता है। इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि यदि उस समय लागू कानून के आधार पर कुछ अधिकारों का निर्णय किया गया है, तो वह न्यायिक निर्णय को तब तक शून्य नहीं करेगा जब तक कि उसके आधारों को ही समाप्त न कर दिया जाए। वर्तमान

मामले में, जिस नियम के तहत रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश की मांग की थी, उसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय-सीमा के भीतर पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नियम 39, जिसके आधार पर निर्देश दिया गया था, अस्तित्व में नहीं था। इसलिए, अधिकारियों के लिए रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा, खनिज पट्टे में किसी का कोई निहित अधिकार नहीं होता है। इस संबंध में इस न्यायालय के *तमिलनाडु राज्य बनाम मैसर्स हिंद स्टोन और अन्य*, [1981] 2 एस सी सी 205 के निर्णय का हवाला देना अधिक उपयोगी होगा। माननीय न्यायमूर्तियों ने उपरोक्त मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"दलील यह थी कि सरकार के लिए पट्टों की मंजूरी और नवीनीकृत करने के आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखना और फिर नियम 8-सी के आधार पर उन्हें खारिज करना उचित नहीं था, इसके बावजूद कि आवेदन नियम 8-सी के लागू होने की तारीख से बहुत पहले किए गए थे। हालांकि यह सच है कि ऐसे आवेदनों का निपटारा उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता है कि उचित समय में आवेदन का निपटारा कराने का अधिकार पट्टे के आवेदक को आवेदन करने के समय लागू नियमों के आधार पर आवेदन का निपटारा कराने का अधिकार प्रदान करता है। पट्टे की मंजूरी या नवीनीकरण का किसी का कोई निहित अधिकार नहीं है और कोई भी विशिष्ट प्रावधानों को लागू करके, किसी विशेष तरीके से पट्टे की मंजूरी या नवीनीकरण के आवेदन पर विचार कराने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी के भी पास निहित अधिकारों के अभाव में, पट्टे के आवेदन पर अनिवार्य रूप से आवेदन के निपटारे की

तारीख पर लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, भले ही आवेदन किए जाने के बाद से लंबा समय बीत चुका हो। इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जी.ओ.एमएस. संख्या 1312 की तारीख से बहुत पहले किए गए पट्टों के नवीनीकरण की मंजूरी के आवेदनों पर इस प्रकार विचार किया जाना चाहिए मानो नियम 8-सी का कोई अस्तित्व ही नहीं था।"

इसी प्रकार पी.टी.आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्रा. लि. बनाम भारत संघ, [1996] 5 एस सी सी 268 के मामले में माननीय न्यायमूर्तियों ने उसी स्थिति को दोहराया।

14. हमारी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई दम नहीं दिखता और इसे बिना किसी लागत के आदेश के खारिज किया जाता है।

एस.के.एस.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।